भारत सरकार

वित्‍त मंत्रालय

आर्थिक कार्य विभाग

**राज्‍य सभा**

**अतारांकित प्रश्‍न संख्‍या -865**

(जिसका उत्‍तर 03 मार्च, 2015/12 फाल्‍गुन 1936 (शक) को दिया जाना है)

**14वें वित्त आयोग के विचारार्थ सौंपा गया अतिरिक्त विषय**

**865. श्रीमती गुन्डु सुधरानीः**

क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) दिनांक 2 जून, 2014 को आंध्र प्रदेश के विभाजन के मद्देनज़र 14वें वित्त आयोग को विचारार्थ सौंपे गए अतिरिक्त विषय का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या आयोग को नए राज्यों के लिए सिफारिश करने के लिए कहा गया है;

(ग) क्या तेलंगाना की राज्य सरकार ने अतिरिक्त वित्तीय सहायता के लिए अनुरोध किया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) तेलंगाना की राज्य सरकार द्वारा 14वें वित्त आयोग को प्रस्तुत ज्ञापनों का ब्यौरा क्या है?

**उत्‍तर**

**वित्‍त मंत्रालय में राज्‍य मंत्री (श्री जयंत सिन्‍हा)**

(क) और (ख): आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, 2014 के अनुसरण में 2 जून, 2014 की अधिसूचना का. आ. 1424 (अ) के तहत 14वें वित्त आयोग को विचारार्थ अतिरिक्‍त विषय सौंपे गए थे। अधिसूचना के अनुसार आयोग को आंध्र प्रदेश राज्‍य के पुनर्गठन पर उत्‍तरवर्ती अथवा पुनर्गठित राज्‍यों को उपलब्‍ध संसाधनों को ध्‍यान में रखने के लिए अधिदेशित किया गया है।

(ग) से (ड.): तेलंगाना राज्‍य सरकार ने ज्ञापन के जरिए 14वें वित्त आयोग से वित्‍तीय सहायता मांगी है। सिफारिशों पर की गई कार्रवाई के रूप में स्‍पष्‍टीकारक ज्ञापन सहित, राष्‍ट्रपति द्वारा अनुमोदित आयेाग की रिपोर्ट पहले ही दिनांक 24.2.2015 को संसद में पेश कर दी गई है।

\*\*\*\*